न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,

जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 19/2019

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. धर्माराम पुत्र उमाराम जाति–सीरवी निवासी–काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.14/01/2019

उपस्थितः–

1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 05/11/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–काणेचा, पटवार हल्का–काणेचा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज. में वादी के पिता के नाम की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 145 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 147 रकबा 41–02 बीघा, खसरा नंबर 199 रकबा 16–12 बीघा, खसरा नंबर 200 रकबा 37–15 बीघा, खसरा नंबर 220 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 221 रकबा 02 बिस्वा, कुल खसरा 06 कुल रकबा 96 बीघा 12 बिस्वा आई हुई है। जिसमें वादी के पिता का 1/4 वां हक हिस्सा निहित है। उक्त आराजी में वादी के दादा लच्छा के फौतेदगी नामन्तकरण के समय बिना तथ्यों की जाचं किये वादी के पिता का नाम उमाराम के स्थान पर ओमा दर्ज कर दिया गया, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम ओमा दर्ज है जो एक रोंग एन्ट्री है व मानवीय त्रुटि तथा सदभाविक भूल है। वर्तमान में वादी के पिता ओमा पुत्र लच्छा का देहान्त दिनांक 13/09/2018 को हो गया है तब वादी ने अपने नाम का राजस्व रेकर्ड एवं फौतेदगी म्यूटेशन कराने पर पटवारी हल्का से संपर्क किया तो इस रोंग एन्ट्री बाबत् वादी को पता चला जिसे सुधारा जाना न्यायहित में होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करने का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। वादी अपने पिता का नाम जो गलत इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में ओमा के स्थान पर उमाराम करवाने का अधिकारी होने एवं रोंग एन्ट्री को दुरूस्त करवाने एवं हटवाने का अपने नाम का फौतेदगी नामान्तरण करवाने का अधिकारी होने से वादी की और से यह वादपत्र पेश है। राजस्व रेकर्ड के अलावा वादी के समस्त दस्तावेजात एवं अन्य खातेदारी भूमि में भी वादी के पिता का नाम उमाराम दर्ज है जिसकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी है जिसके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस दिया जाना डिस्पेन्सविद् किया जाकर बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् प्रार्थनापत्र धारा 80(2) सीपीसी का वादपत्र के साथ संलग्न है। बिनाय वाद दिनांक 24/12/2018 को वादी द्वारा फौतेदगी म्यूटेशन भरवाने बाबत् पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से मिलने पर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम ओमा दर्ज होने बाबत् कहने व राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने पर बमुकाम काणेचा तहसील जैतारण जिला पाली राज. में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में होने से वादपत्र अंदर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी को जवाब दावा पेश करने का अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाबदावा बन्द किया गया। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया, सामिल मिसल है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबंदी संवत 2047-2077, ग्राम-काणेचा, तहसील-जैतारण के खाता सं. पुराना 100, नया 94, खसरा संख्या 94, खसरा संख्या 145, 147, 199, 200 और 221 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के पिता का नाम ओमा पि. लच्छा खातेदार के तौर पर अंकित है, वहीं ग्राम काणेचा की ही जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या नया 103, पुराना 107 में वादी के पिता का नाम उमाराम पुत्र लच्छाराम बतौर खातेदार दर्ज है। वादी ने शपथ-पत्र पर कथन किया है कि उसके पिता का सही नाम उमाराम है, न कि ओमा है। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में धर्माराम पुत्र उमाराम के नाम जारी पहचान पत्र संख्या JVL/1732676, उमाराम पुत्र लच्छाराम के नाम जारी आधार कार्ड संख्या 778021361961 प्रदर्श कराए है। यह सही है कि खातेदार को नाम या पिता के नाम संबंधी गलत अंकन के कारण वर्तमान ऑनलाइन सेवाओं के दौर में अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा खातेदार को अपनी आराजी के संबंध में सही तथ्यों की घोषणा करवानें का अधिकार है। वादी के शपथ-पत्र, अन्य जमाबंदी में अंकन और प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम-काणेचा, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण में स्थित वादी के पिता की खातेदारी भूमि खाता संख्या पुराना 100, नया 94 के खसरा नंबर 145 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 147 रकबा 41-02 बीघा, खसरा नंबर 199 रकबा 16-12 बीघा, खसरा नंबर 200 रकबा 37-15 बीघा, खसरा नंबर 220 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 221 रकबा 02 बिस्वा, कुल खसरा 06 कुल रकबा 96 बीघा 12 बिस्वा भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज ओमा पि. लच्छा के स्थान पर सही नाम उमाराम पुत्र लच्छाराम दुरुस्त किये जानें की घोषणा की जाती है, शेष यथावत रहेगा। तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/11/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण ::– बनाम –:: प्रतिवादीगण ::–

1. धर्माराम पुत्र उमाराम
जाति–सीरवी निवासी–काणेचा,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 19/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–काणेचा, पटवार हल्का–काणेचा, तहसील–जैतारण में स्थित वादी के पिता की खातेदारी भूमि खाता संख्या पुराना 100; नया 94 के खसरा नंबर 145 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 147 रकबा 41–02 बीघा, खसरा नंबर 199 रकबा 16–12 बीघा, खसरा नंबर 200 रकबा 37–15 बीघा, खसरा नंबर 220 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 221 रकबा 02 बिस्वा, कुल खसरा 06 कुल रकबा 96 बीघा 12 बिस्वा भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज ओमा पि. लच्छा के स्थान पर सही नाम उमाराम पुत्र लच्छाराम दुरूस्त किये जानें की घोषणा की जाती है, शेष यथावत रहेगा। तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/11/2019 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.27 16:39:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: